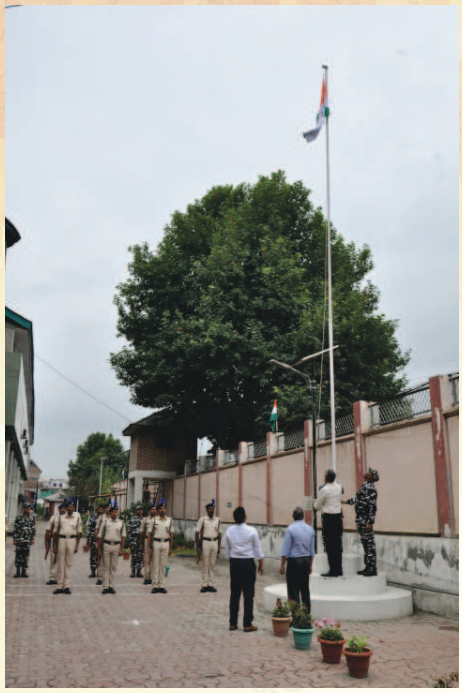
विनार ध्वनि

तृतीय अंक 2022

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) तथा
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी),
जम्मू एवं कश्मीर,
श्रीनगर का संयुक्त अंक



15 अगस्त, 2022 स्वतंत्रता दिवस समारोह के
उपलक्ष्य में झंडा रोहण करते
माननीय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)



26 जनवरी, 2022 गणतंत्र दिवस समारोह के
उपलक्ष्य में झंडा रोहण करते
माननीय वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)
श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)





गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण ।



नव वर्ष के समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित संयुक्त कार्यालय के प्रधान महालेखाकार एवं वरिष्ठ उपमहालेखाकार।





चिनार ध्वनि

विभागीय वार्षिक गृह-पत्रिका

सितम्बर, 2022

(तृतीय अंक)

चिनार ध्वनि-परिवार

मुख्य संरक्षक

डॉ अभिषेक गुप्ता
प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

श्री प्रमोद कुमार
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

परामर्शदाता

श्री प्रकाश चन्द्र सिंह नेगी
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन-लेखापरीक्षा)

श्री रणजीत सिंह
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन-लेखा व हकदारी)

सुश्री इनाबत खालिक
उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-प्रथम)

संपादक मण्डल

श्री अब्दुल गनी हज़ाम, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हिन्दी अनुभाग- लेखापरीक्षा)

श्री राकेश कौल, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (हिन्दी अनुभाग- लेखा व हकदारी)

श्री संदीप वर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (हिन्दी अनुभाग- लेखापरीक्षा)

श्री मनदीप, कनिष्ठ अनुवादक (लेखा व हकदारी)

सुश्री सुमन कुमारी, कनिष्ठ अनुवादक (लेखापरीक्षा)

*अस्वीकरण- **"चिनार ध्वनि"** पत्रिका की रचना राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से की गयी है। इसमें निहित लेख, कविताएं तथा सुझाव इत्यादि मूलतः लेखकों के अपने हैं और यह आवश्यक नहीं है कि कार्यालय इनसे सहमत हो।*

अनुक्रमणिक

क्र. सं.	शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठ संख्या
1.	संदेश		
2.	संपादक मण्डल की कलम से		
3.	मानसिक स्वास्थ्य	श्री प्रकाश चन्द्र सिंह नेगी	1
4.	भारत में दुर्घटनाओं की स्थिति	श्री रणजीत सिंह	4
5.	चिनार वृक्ष	श्री सतीश महानूरी	6
6.	ज़िन्दगी की कशमकश	श्री संदीप वर्मा	8
7.	सिन्धु घाटी की सभ्यता	श्री प्रीत सिंह	9
8.	ध्यान साधना	श्री विवेक कुमार गर्ग	10
9.	श्रीनगर	श्री इजहार अहमद शाह	11
10.	सिर्फ़ तेरे लिए	श्री सतीश महानूरी	12
11.	विवाह हेतु न्यूनतम आयु	श्री योगेश मीना	14
12.	फ़ना	श्री संजय कुमार	17
13.	मानसबलः सबसे गहरी झील	श्री मोहम्मद जलालुद्दीन	18
14.	बचपन का जमाना	सुश्री सुमन कुमारी	20
15.	गज़ल	श्री इश्तियाक शौक	21
16.	प्रणाम का महत्त्व	सुश्री सुमन कुमारी	23
17.	मेरी यात्राः दूध सागर की ओर	श्री गौतम राणा	24
18.	मेरा घर	श्री विनोद भट्ट 'शाद'	30
19.	बिहार दिवस	श्री संजय कुमार	31
20.	आंगनवाड़ी	श्री रमन कटारिया	33
21.	मोहब्बत	श्री इजहार अहमद शाह	35
22.	हिन्दी	श्री ऊदल सिंह सोलंकी	36
23.	राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) तथा राजभाषा नियम, (यथासंशोधित 1987 एवं 2007, 2011)	श्री ऊदल सिंह सोलंकी	37
24.	भाषायी क्षेत्र तथा वार्षिक कार्यक्रम		40
25.	आपके पत्र		44

प्राक्कथन



संरक्षक की कलम से.....

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस कार्यालय की गृह पत्रिका **'चिनार ध्वनि'** के तृतीय अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। इसकी सफलता हम सभी पर निर्भर करती है। आज राजभाषा हिन्दी का जो व्यापक एवं विस्तृत रूप देखने को मिलता है उसमें सभी भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेज़ी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आज हिन्दी भाषा को समयानुसार गति देने हेतु शब्द ग्रहण करना अपेक्षित हो गया है ताकि हिन्दी का प्रचार-प्रसार संपूर्ण राष्ट्र एवं अन्य देशों में भी हो सके। आज हम यदि अंग्रेज़ी को देखें तो उसमें विश्व की अनेक भाषाओं के शब्द मिल जायेंगे। इसी के फलस्वरूप विश्व समुदाय ने इसे अपनाया। यही प्रक्रिया हमें हिंदी के विकास के लिए भी अपनानी है। राजभाषा नियमों में भी बोलचाल की सरल हिंदी अपनाने की बात कही गयी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम शासकीय सेवक हैं और हमारा कार्य आम जनता से जुड़ा है जो बहुत अधिक अंग्रेज़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। वे आम बोलचाल एवं कार्यप्रणाली में ज्यादातर हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अतः हमारा कर्त्तव्य बनता है कि हम उनसे पत्र व्यवहार करते समय अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें ताकि वे बिना हिचक एवं भय के हमसे जुड़ सकें एवं हम भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को नियत समय-सीमा के भीतर पूरा कर पाएं।

अतः आप सभी से मेरा आग्रह है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें तथा दूसरों को भी प्रेरित करें तथा राजभाषा हिंदी के प्रति स्नेह एवं सम्मान की अभिव्यक्ति करें।

(डॉ अभिषेक गुप्ता)
प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

सत्यमेव जयते

आमुख



मुख्य सरक्षक की कलम से.....

मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे श्रीनगर कार्यालय की वार्षिक पत्रिका 'चिनार ध्वनि' के तृतीय अंक का प्रकाशन होने जा रहा है। जहाँ एक ओर विभागीय पत्रिकाओं को प्रकाशित करने का मूल उद्देश्य राजभाषा के प्रचार-प्रसार को प्रेरणा देना एवं संबल प्रदान करना है, वहीं दूसरी ओर कार्यालयीन कार्यों में सरल हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना भी है। हिन्दी एक अद्भुत क्षमता वाली वैज्ञानिक भाषा है, इसके मूल में विश्व की प्राचीनतम समृद्ध भाषा संस्कृत है और अन्य भारतीय भाषायें इसकी ताकत हैं। हिन्दी, भारतीय सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का माध्यम है। इतनी समृद्ध भाषा होते हुए भी हम हिन्दी का प्रयोग करते हुए झिझकते हैं। जहाँ तक इस पत्रिका में संकलित रचनाओं का प्रश्न है, तो ये इस कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों की सृजनशीलता का अनूठा संगम बनाती हुई प्रतीत हो रही हैं। मैं हिन्दी के इन नव लेखकों को प्रोत्साहन देने और सुधी पाठकों तक इतनी सुंदर पठनीय सामग्री पहुँचाने के इस प्रयास के लिए संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी के समेकित प्रयास से **'चिनार ध्वनि'** के आगामी अंक उन्नत शिखर पर आरूढ होंगे।

(प्रमोद कुमार)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

संदेश



कार्यालयीन गृह पत्रिका **'चिनार ध्वनि'** के तृतीय अंक के प्रकाशन पर मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। हिंदी हम सबकी भाषा है, यह भारत के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा बोली व समझी जाने वाली भाषा है। इसका प्रयोग भारत की सांस्कृतिक धरोहर का बोध कराता है। किसी भी देश के विकास में भाषा की एकरूपता का होना अनिवार्य है। अतः हम सबको इसे निस्संकोच अपनाकर इसके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु हमेशा तत्पर रहना चाहिए।

हम सभी का संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि हम सब राजभाषा का कार्यालयीन एवं दैनिक क्रियाकलापों में अधिक से अधिक प्रयोग करें। हिंदी के प्रयोगों को लेकर नित्य नये प्रयास हो रहे हैं और निस्संदेह इस कार्यालयमें हिंदी का महत्त्पूर्ण स्थान है। हिंदी के प्रयोगों के साथ-साथ यह पत्रिका कार्यालय में साहित्यिक एवं रचनात्मक प्रतिभा के विकास का एक माध्यम भी है। अतः इस पत्रिका में कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की सहभागिता प्रशंसनीय है।

पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य हेतुशुभकामनाएं।

प्रकाश चन्द्र सिंह नेगी
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)
लेखापरीक्षा

संदेश



भारत की राजभाषा हिंदी की प्रगति में अपना सांस्कृतिक, सराहनीय एवं अमूल्य योगदान प्रदान करती हुयी, हमारे कार्यालय की गृह पत्रिका **'चिनार ध्वनि'** का तृतीय अंक आपसभी के समक्ष प्रस्तुत है। यह अवसर मेरे लिए हर्ष एवं गौरव का है।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा का विश्लेषण करती यह पत्रिका दैनिक कार्यालयीन कार्यों से परे अपनी रचनाओं को पाठकों के समक्ष रखने का एक उचित माध्यम है। रचनाकारों की प्रतिभा का आदर करते हुए मैं इस पत्रिका द्वारा विभिन्न भाषा-भाषी लोगों को एक सूत्र में पिरोने एवं हिंदी को एक सरल संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करने में सार्थक प्रयास की सराहना करता हूँ एवं रचनाकारों को धन्यवाद देता हूँ जिनके सहयोग एवं समन्वय ने इस पत्रिका को मूर्त रूप देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

(अमनजीत सिंह)
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)
लेखा व हकदारी

संदेश



हिंदी पत्रिका **'चिनार ध्वनि'** के तृतीय अंक के प्रकाशन की मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसके लिए मैं **'चिनार ध्वनि'** परिवार के सभी संपादन सहयोगियों, रचनाकारों एवं पाठकों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी ने पत्रिका के सफल प्रकाशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

विभागीय पत्रिका राजभाषा हिंदी के सरल एवं सहज प्रयोग में विशेष रूप से योगदान देती है तथा साथ ही यह रचनात्मक प्रतिभाओं को उजागर करने का एक श्रेष्ठ माध्यम भी है।

मुझे विश्वास है कि राजभाषा हिंदी की प्रगति एवं प्रचार-प्रसार करने में **'चिनार ध्वनि'** अपने दायित्व का निर्वहन पूर्णतः करती रहेगी।

शुभकामनाओं सहित।

(इनाबत खालिक)

उप महालेखाकार (एएमजी-1)

लेखापरीक्षा

संदेश



राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय का हृदय से सम्मान करना प्रत्येक भारतवासी का दायित्व है। आधुनिक युग में जहां तकनीकी, प्रबंधन, चिकित्सा जैसे अनेक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही संपन्न हो रही है, वहां हिन्दी के विकास कार्यों को गति देना एक चुनौती बन गया है। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम हिन्दी के प्रचार-प्रसार में यथासंभव सहयोग प्रदान करें और हिन्दी की सेवा में लगे उन सच्चे सिपाहियों की सहायता करें जो देश-विदेश में हिन्दी को उचित सम्मान दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं।

'चिनार-ध्वनि' पत्रिका के वर्तमान अंक के सफल प्रकाश के लिए हार्दिश शुभकामनाएं।

सुधाकर - पि.

(सुधाकर पिगले)
उप महालेखकार (पेन्शन)
लेखा व हकदारी

संपादक मण्डल की कलम से

प्रिय पाठकों.....

हमारे कार्यालय की गृह पत्रिका **'चिनार ध्वनि'** के तृतीय अंक को आप सभी के समक्ष रखते हुए हमें अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस अंक के प्रकाशन तक पहुँचने में हमें अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिला और आशा है कि आगे भी सहयोग मिलता रहेगा।

हिंदी भाषा को हमारे देश में वह स्थान नहीं मिला है जिसकी यह, वास्तव में हकदार है। भाषा कभी ऊँची अथवा नीची नहीं होती है। भाषा एक समाज की संस्कृति एवं विकास का मूल तत्व होती है। आज कई देश अपनी मातृभाषा में ही विज्ञान की किताबों का प्रकाशन कर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें चीन, रूस, जापान इत्यादि देश हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा को विदेशी भाषा से अधिक सम्मान दिया और विकास किया। हम भारतवासियों को भी आत्म-सम्मान के साथ अपने देश की भाषा का विकास करना चाहिए। हमारा देश इतना विशाल है कि इसमें सैकड़ों भाषायें बोली जाती हैं। इन सभी भाषाओं को तो राजभाषा नहीं बनाया जा सकता किंतु जो भाषा अधिकांश लोगों के समझ में आती है, वह भाषा हिंदी है। इसीलिए, संविधान निर्माताओं ने चाहे वे किसी भी प्रांत के रहे हों, हिंदी का समर्थन किया। हमें संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं एवं भारत के आत्म-सम्मान के लिए हिंदी के विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए।

इसी अनुक्रम में, इस कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अथक प्रयासों के मूर्त स्वरूप माँ भारती को हिंदी पत्रिका **'चिनार ध्वनि'** के रूप में श्रद्धांजलि है।

अंत में सभी रचनाकारों एवं संपादक मण्डल के सभी सदस्यों को **'चिनार ध्वनि'** के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं देते हुए पाठकों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने बहुमूल्य विचार एवं सुझाव हमें अवश्य भेजें।

गृह-पत्रिका **'चिनार ध्वनि'** उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ समर्पित है।

सम्पादक मण्डल

मानसिक स्वास्थ्य



मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य संज्ञानात्मक और व्यावहारिक कल्याण की स्थिति से है। कभी-कभी मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग मानसिक विकार की अनुपस्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह भलाई की स्थिति है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता का एहसास करता है और जीवन में परिवर्तन और अनिश्चितता से निपट सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है तथा यह स्वास्थ्य के एक घटक को एकीकृत करता है। मानसिक स्वास्थ्य में एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई सम्मिलित होती है। उचित मानसिक स्वास्थ्य न केवल उनके मनोदशा और व्यवहार को प्रभावित करता है बल्कि उनके सोचने जीवन को देखने और चुनौतियों का सामना करने के तरीके को भी बदलता है। हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण कारक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओ में योगदान करते हैं। इन कारकों में जीवन के अनुभव जैसे आघात या दुर्व्यवहार, मस्तिष्क के जीन या रसायन विज्ञान जैसे- जैविक कारक और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का पारिवारिक इतिहास भी किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। खराब मानसिक स्वास्थ्य तनावपूर्ण कार्य परिस्थितियों, तेजी से सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक बीमारी और मानवाधिकारों के उल्लंघन से भी जुड़ा हुआ है।

हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर देश में मानसिक स्वास्थ्य के संसाधन अलग-अलग होते है। वहीं पश्चिमी दुनिया के विकसित देश हर आयु वर्ग हेतु मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदान करते हैं। तीसरी दुनिया के देशों में जहाँ परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वहाँ उचित मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता हैं।

भारतीय वयस्कों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। 10 में से एक युवा महत्वपूर्ण अवसाद की अवधि का अनुभव करता है। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति जैसे- चिन्ता, अवसाद और तनाव, जीवन बदलने वाली शारीरिक

स्वास्थ्य समस्याओं जैसे मधुमेह, कैंसर या दर्द के कारण विकसित हो सकते हैं। निदान योग्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले 20% से कम किशोरों और बच्चों को उचित उपचार मिलता है जिसकी उन्हे आवश्यकता होती है। दुनिया में पाँच में से लगभग एक

बच्चे और किशोर मानसिक विकार से पीड़ित हैं। डिप्रेशन विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है, जो 246 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने से व्यक्ति के जीवन का आनंद लेने की क्षमता बनी रहती है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत वह व्यक्ति जिन्हें अशक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के तहत परिभाषित किया गया है और जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खण्ड (फ) के अर्थ में मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम में रखा गया है, विधिक सेवाओं के हकदार हैं। इसलिए नालसा (NALSA) ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4 (बी) के अंर्तगत सशक्त अपने अधिकार से मानसिक रोगी और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को प्रभावशाली विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2010 में एक योजना बनाई थी।

विधिक सेवा संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम

- विधिक सेवा संस्थानों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 24 या 25 के तहत मानसिक बीमार व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए उसे पेश करने में सक्षम संवेदक तथा संवेदनशील विधिक सेवा अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करना चाहिए जो दण्डाधिकारी को मानसिक बीमार व्यक्ति के कल्याण हेतु आदेश देते समय सहायता प्रदान कर सकें।
- विधिक सेवा संस्थानों को पुलिस थानों में नियुक्त अपने अर्ध-विधिक स्वयं सेवकों द्वारा पुलिस को, मानसिक बीमार व्यक्तियों जो उपेक्षित, आवारा या निस्सहाय हैं, राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट (स्वलीनता, दिमागी पक्षाघात, मानसिक गति में कमी और बहु विकलांग) अधिनियम, 1999 की धारा 13 के तहत स्थापित स्थानीय स्तर समिति को सुपुर्द करने में सहायता करनी चाहिए, ताकि मानसिक बीमार व्यक्ति की देखरेख, स्वास्थ्य-लाभ, व्यक्तिगत या संस्थागत संरक्षक की नियुक्ति जैसे इंतजामों को सुनिश्चित किया जा सके।
- विधिक सेवा संस्थानों को मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों सहित चिकित्सकों, पुलिस अधिकारियों तथा न्यायिक दण्डाधिकारियो के साथ जो कि स्थानीय

सहायक प्रकिया को विकसित करने वाली अपेक्षित कार्यवाहियों में काम कर रहे हैं, मिलकर संवेदनशील कार्यक्रमों को तैयार करना चाहिए ताकि आवारा, मानसिक बीमार व्यक्तियों को पहचाना जा सके और प्रत्येक मामले में उनके मानवीय अधिकारों हेतु उचित न्यायिक आदेशों को यथावश्यक प्राप्त किया जा सके।

जागरूकता एवं संवेदनशीलकर्ता कार्यक्रम

- विधिक सेवा संस्थाएँ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके कि मानसिक रोग उपचार योग्य हैं और मानसिक रोग अथवा मानसिक अशक्तता से कोई कलंक जुड़ा हुआ नहीं है।
- विधिक सेवा संस्थाएँ समाज में मानसिक रोगियों के साथ भी अन्य लोगों के जैसे सामान्य व्यवहार की आवश्यकता बतायेगीं। ऐसे विशेष विधिक जागरूकता शिविरों में मनोचिकित्सकों, अधिवक्तागण एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, शिविर में आए लोगों की मानसिक रोग एवं मानसिक अशक्तता के विषय में भ्रम व भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होंगे।

प्रकाश चन्द्र सिंह नेगी
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)
लेखापरीक्षा



भारत में दुर्घटनाओं की स्थिति



वर्तमान में पूरे देश में सड़क दुर्घटनायें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। व्यस्ततम जीवन शैली, समय का अभाव एवं गंतव्य पर शीघ्र पहुँचने की जद्दोजहद में मनुष्य वाहन चलाते समय त्रुटि कर देते हैं और अपना अमूल्य जीवन गँवा बैठते हैं।

मुझे स्मरण है कि एकबार मैं श्रीनगर से जम्मू हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए पर सड़क द्वारा यात्रा कर रहा था। मैं अपने सफर का आनंद लेते हुए जा रहा था कि अचानक मैं एक जगह एक दुर्घटना देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने देखा कि एक ट्रक मुख्य मार्ग से भटक कर खाई में जा गिरा है और उसके परखच्चे उड़ गये हैं। वह एक शिशु के टूटे हुए खिलौने की भांति क्षतिग्रस्त हो गया है। उसमें सवार चालक और अन्य एक-दो लोगों ने अपनी जान गँवा दी थी। यह दुर्घटना देखकर मैं एकदम सहम गया और विचार करने लगा कि आजकल दुर्घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने वर्ष 2020 हेतु अपनी वार्षिक क्राइम इण्डिया रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्यों को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार लापरवाही के कारण हुयी सड़क दुर्घटनाओं में विगत तीन वर्षों के दौरान 3.92 लाख लोगों ने अपनी जान गँवाई है जबकि वर्ष 2020 में 1.20 लाख लोगों की मौत सड़क हादसों में हुयी है। वर्ष 2019 में 1.36 लाख एवं वर्ष 2018 में 1.35 लाख मौतें हुयी थी।

हिट एण्ड रन संबंधी मामलेः

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्र में वर्ष 2018 के बाद से हिट एण्ड रन के 1.35 लाख मामले दर्ज किये गये हैं। अकेले वर्ष 2020 में हिट एण्ड रन के 41,196 मामले सामने आये थे, जबकि वर्ष 2019 में 47,504 और 2018 में 47,028 इसी प्रकार के मामले दृष्टिगोचर हुये। आँकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में देश भर में प्रत्येक दिन औसतन हिट एण्ड रन के 112 मामले सामने आये हैं।

घायल होने के मामलेः

सार्वजनिक मार्ग पर तेज गति से या लापरवाही से वाहन चलाने से घायल होने के मामले वर्ष 2020 में 1.30 लाख, 2019 में 1.60 लाख और 2018 में 1.66 लाख थे, जबकि गंभीर चोट लगने के मामले वर्ष 2020 में 85,920, वर्ष 2019 में 1.12 लाख और 2018 में 1.08 लाख थे। यह बहुत ही विचारणीय विषय बन गया है।

रेल दुर्घटनाः

इसी प्रकार पूरे देश में वर्ष 2020 में रेल दुर्घटनाओं में लापरवाही से हुई मौतों के 52 मामले दर्ज किये गये हैं। इससे पूर्व वर्ष 2019 में 55 तथा 2018 में 35 मामले दर्ज किये गये थे।

उपचार में लापरवाहीः

देश में वर्ष 2020 के दौरान इलाज में लापरवाही के कारण मौतों के 133 मामले दर्ज किये गये, जबकि वर्ष 2019 में यह आँकड़ा 201 और 2018 में 218 था। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में नागरिक निकायों की लापरवाही के कारण मौतों के 51 मामले दर्ज किये गये थे, जबकि वर्ष 2019 में 147 और 2018 में 40 मामले अभिलेखबद्ध थे। वर्ष 2020 में अन्य लापरवाही के कारण मौतों के 6,367 मामले दर्ज किये गये, जबकि वर्ष 2019 में 7,912 और 2018 में 8,687 मामले अभिलेखबद्ध हुए थे।

एनसीआरबी के प्रतिवेदन में कहा गया था कि कोरोना महामारी के कारण देश में 25 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक लॉकडाउन अधिरोपित किया गया था। इसलिए, इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही बहुत सीमित रही थी। इसके बावजूद हादसों में तुलनात्मक रूप से कमी नहीं आयी है, जोकि एक चिन्ता का विषय है।

अतः वर्तमान व्यस्त जीवन शैली की भागदौड़ में जीवन को जोखिम में डालना कोई समझदारी नहीं है। कहीं पर भी नहीं पहुँचने से, अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचना आवश्यक है। अतः कहा भी गया है कि दुर्घटना से देर भली।

रणजीत सिंह,

वरिष्ठ उप महालेखाकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), श्रीनगर

चिनार वृक्ष



पेड़ इतने महत्त्वपूर्ण और आवश्यक हैं जितने हम स्वयं के लिए हैं। पेड़ पानी को संरक्षित करते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं, हवा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और वन्य जीवन को बनाये रखने में मदद करते हैं। ये भोजन, चारा, फल, दवा और लकड़ी के स्रोत हैं तथा जलवायु और पर्यावरण में सुधार करते हैं। वनों की अनिवार्यता पर जोर देते हुए जिनमें पेड़ प्रचुर मात्रा में हैं, महान सूफी संत शेख नूर-उद्दीन-नूरानी, जिन्हें आमतौर पर शेख उल आलम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा है कि अन पॉश टेली येल वं पाशे जिसका अर्थ है कि यदि वन रहेगा तो भोजन चलेगा। प्रकृति ने कश्मीर की घाटी को प्रचुर मात्रा में फल देने वाले और बिना फल देने वाले पेड़ दिये हैं। चिनार सबसे बड़े गैर-फल देने वाले पेड़ों में से एक है। इसके दीप्तिमान लाल दिखने पर उन्होंने इसका उच्चारण- चे-नार किया जिसका अर्थ अंग्रेजी में आग की तरह है। इस प्रकार फारसी नाम चिनार राज्य का प्रतीक हो गया और कश्मीरी भाषा में *बूउने* कहा जाने लगा। यह पेड़ कश्मीरी संस्कृति और इसकी पहचान का अभिन्न अंग है और इसकी उम्र सौ वर्षों की होती है। कहा जाता है कि घाटी में बड़गाम के मध्य जिले की तहसील चदूरा के ग्राम चटरगाम में 627 साल पुराना चीनार का पेड़ मिला है।

पूर्व के कवि डॉ. अल्लामा शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि "जिस खाक के जमीर में हो आतिसे चिनार, मुमकिन नहीं के सर्द हो खाके अर्जीमुंड", उनके इस कथन ने कश्मीरी मिट्टी की गर्मी को चिनार की आग से जोड़ दिया है। प्राचीन काल से ही चिनार फारसी उद्यानों में एक महत्त्वपूर्ण वृक्ष है जो पानी और छाया के चारों तरफ बनाया गया है। कश्मीर में पानी के झरनों, झीलों और नदियों के किनारे चिनार इस तथ्य की गवाही देते हैं। लगभग सभी गांव/ सड़कों पर चिनार उद्यान इस प्रकार हैं- पोलो व्यू/ पर्यटक स्वागत केन्द्र/ दीवान बाग/ नसीन बाग इत्यादि। यह एक शांत छायादार पेड़ है और कई पक्षियों को आश्रय देता है जिसमें विशेष रूप से कौवे और पतंगे हैं जो ऊंची चोटियों पर बसेरा करते हैं।

यह एक बहुत बड़ा, चौड़ा फैला हुआ, लंबा, जीवित, विशाल आकार वाला पेड़ है। जो फर्नीचर उद्योग के लिए कठोर एवं उच्च गुणवत्ता और महंगी लकड़ी प्रदान करता है।

इसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं और कश्मीरी *कांगड़ी* के लिए ईंधन के रूप में उपयोग की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, इसके गिरे हुए पत्ते, कटी हुई शाखाओं/ टहनियों को सर्दी के मौसम या ठण्ड के मौसम में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चिनार की लकड़ी का अभी तक इमारती लकड़ी या फर्नीचर बनाने के कार्यों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है।



यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार द्वारा चिनार विकास प्राधिकरण स्थापित करने के बावजूद इन पेड़ों की संख्या में कमी आयी है और अलग-अलग फूलों की खेती करने वाले विभाग में एक चिनार विकास अधिकारी को संरक्षित पेड़ों की श्रेणी में रखने के बावजूद इन पेड़ों की संख्या में कमी दिखायी देती है।

सतीश महानूरी,
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ज़िन्दगी की कशमकश



दीवार से सटे चूल्हे
के धुँए से
दीवार पर जमी कालिख,
बताती है हाल घर के लोगों का
वक़्त पर पेट भरने की
कशमकश का।
आँगन के बाहर रखी
टूटी चप्पल,
हमसाये की भाँति
वाकिफ़ होती है किसी
मेहनतकश इंसान की जद्दोजहद से।
किसी के कपड़े पर सफेद धागे
और
मोटी सुई से हुआ रफ़ू,
छिपाये रखता है,
वक़्त के थपेड़ों से उपजे
जख्मों को।
और सड़क पर
नंगे पांव दौड़ते
बच्चों के तलवे,
परिचित होते हैं,
किसी न किसी मजबूरी से।।

संदीप वर्मा,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।
-श्री सुमित्रानंदन पंत

सिन्धु घाटी की सभ्यता



सिन्धु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, उनमें प्रतिमायें, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मृण्मूर्तियाँ इत्यादि शामिल हैं। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझ-बूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। उनके द्वारा बनायी गयी मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियाँ अत्यंत जीवंत प्रतीत होती हैं क्योंकि उनमें अंगों की बनावट वास्तविक अंगों जैसी ही है। जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझ-बूझ और सावधानी के साथ किया गया है।

सिन्धु घाटी सभ्यता के हडप्पा और मोहनजोदडो नामक दो प्रमुख स्थल थे। इनमें से हडप्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिन्धु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के उत्कृष्ट उदाहरण थे। इन नगरों में रहने के मकान, भण्डार घर, कार्यालय आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाये गये थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफी विकसित थी। हडप्पा व मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं।

हडप्पा स्थलों पर पायी गयी मूर्तियाँ, भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी के बर्तन हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। हडप्पा के पुरूष और स्त्रियाँ अपने आप को तरह-तरह के आभूषणों से सजाते थे, ये गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। गले के हार, फीते, अंगूठियाँ आमतौर पर पुरूष एवं स्त्रियाँ दोनों द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी। मोहनजोदडो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं, जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े और मनके, सोने के कुण्डल तथा बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के फरमाना पुरास्थल पर एक कब्रिस्तान पाया गया है, जहाँ शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। इन सभी उदाहरणों से यह प्रतीत होता है कि सिन्धु सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे।

प्रीत सिंह,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

ध्यान साधना



लगभग 3 साल पहले विपश्यना साधना के दौरान एक चर्चा में ध्यान साधना एवं धार्मिक ध्यान साधना अर्थात् प्रार्थना के अन्तर को प्रासंगिक किया गया।

प्रार्थना (धार्मिक ध्यान) प्रभावी रूप से इस धारणा से संबंधित है कि आपके विचार, वास्तविकता को बदल सकते हैं या आपके जीवन में परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है।

जबकि ध्यान साधना वर्तमान को स्वीकार करना है अर्थात् वर्तमान को स्वीकार करना न कि ऐसा मानना कि आप भविष्य के परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं।

ध्यान साधना का अभ्यास करने में कोई खतरा नहीं है। एक गलत धारणा जो सर्वाधिक रूप से व्याप्त है जिसका परिणाम ध्यान साधना से जोड़ा जाता है कि ध्यान साधना का असली उद्देश्य सोचना बंद करना है।

गुरुदेव जग्गी वासुदेव ने ध्यान साधना की इस गलत व्याख्या का बहुत खूबसूरती से जवाब दिया है-

मानव तंत्र के सबसे जरूरी एवं अद्भुत यंत्र मस्तिष्क जिसको हजारों-लाखों साल के सतत् विकास के बाद वर्तमान रूप में मनुष्य को मिला है और मनुष्य सिर्फ इसकी कार्यशैली को इसलिए बंद करना चाहता है कि वो एक ही समय में बहुत सारे विचारों को नहीं संभाल पा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी सम्भव नहीं है।

आप सोचना बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप तेजी से आ रहे विचारों को धीमा कर सकते हैं। दो सतत् विचारों के मध्य जगह बना सकते हैं, जो आपको अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करता है, जो कि ध्यान साधना से सम्भव है।

परिणाम की अपेक्षा से अन्य खतरे भी उत्पन्न होते है। बौद्ध दर्शन के अनुसार ध्यान साधना किसी एक विशिष्ट परिणाम के लिए नहीं बल्कि सभी सम्भावनाओं के लिए एक मानसिक स्वीकृति उत्पन्न करती है।

ध्यान साधना मनुष्य द्वारा अपनाये जा सकने वाले सर्वश्रेष्ठ गुणों में से एक है, जिसे मनुष्य अपनी एवं समाज की वृद्धि के लिए उपयोग में ला सकता है। ध्यान साधना का कोई मानसिक खतरा नहीं है बस धैर्य रखें और इसका अभ्यास करें।

विवेक कुमार गर्ग,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

श्रीनगर



कश्मीर की सुंदर घाटी में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर शहर बसा हुआ है। यहाँ की हर एक जगह मशहूर है। यहाँ की डल झील श्रीनगर के आकर्षण का मुख्य केन्द्र है। पर्यटकों के लिए यहाँ सारी सुविधायें उपलब्ध हैं। छोटे आकार की नाव को *शिकारा* कहते हैं। व्यापारी अपनी चीजें इन में लाकर बेचते हैं और पर्यटक इनसे आनंद उठाते हैं, झील की सैर करते हैं। यहाँ की खूबसूरती मनमोहक है। निशात और शालीमार बाग पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। श्रीनगर हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी एवं बर्तनों पर नक्काशी, कपड़ों पर कढ़ाई एवं कालीन पर बुनाई यहाँ की मशहूर है। *पश्मीना* और *तोशा* की शॉल प्रसिद्ध हैं। कश्मीर में मौसम समय के साथ बदलता रहता है। कश्मीर में कभी-कभी तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। उस समय डल झील बर्फ का मैदान बन जाती है। सर्दियों में लोग *फेरन* पहनते हैं और *कांगड़ी* से हाथ सेकते हैं। यहाँ के लोग मेहनती और मिलनसार होते हैं। मेहमान नवाजी में कश्मीर के लोग मशहूर हैं।



शाहजहाँ ने कश्मीर के बारे में कहा था- अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है।

इजहार अहमद शाह,
व. लेखापरीक्षक

सिर्फ़ तेरे लिए



बड़ी देर बाद मंजिल पर पहुँची मेरी दुआ।

इक आहट-सी हुई, महक उठी मेरी फ़िजा।

बड़ी बेताबी से थी तेरे आने की ख्वाईश।

सब ओर हई खशियों की बारिश।



वह नाजुक-सी उंगलियाँ वह पानी से परे।

मेरे घर पर आयी इक परी, दुनिया की हुई मुझसे बैर।

खूबसूरत था तेरा चहकना और तेरा खिलखिलाना।

मेरी ओर देखना और मेरा नाम होठों पे लाना।

मेरे पापा प्यारे पापा कहना और तेरा मुस्कुराना।

मेरा हाथ बढ़ाना और तेरा खींच के चले आना।

याद है मुझे वह मेरा घर से चले जाना।

और उसी रात तेरा बुखार से तिलमिलाना।

लिखने को शब्द नहीं तो तहरीर करूँ कैसे।

जेहन में यादों से उमड़ आया घरौंदा जैसे।

यूँ तो शायर नहीं पर लिखना जरूरी है।

इक तरफ इम्तिहान अर्श का और इक तरफ महानूरी है।

सतीश महानूरी,
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। हिन्दी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है।

-नरेन्द्र मोदी

विवाह हेतु न्यूनतम आयु



लोक सभा में 21 दिसंबर 2021 को बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 प्रस्तुत किया गया था। विधेयक महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करता है। विधेयक विवाह संबंधी कुछ अन्य विधियों में भी संशोधन करता है जिससे उन कानूनों में महिला की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा सके। ये कानून हैं-

1. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
2. पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936
3. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
4. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
5. विशेष विवाह अधिनियम, 1969

विधेयक क्यों आवश्यक हैः

महिला एवं पुरूष के विवाह की न्यूनतम आयु में अंतर कानून के समक्ष लिंग में भेदभाव के भाव को प्रदर्शित करता है जो कि संविधान की मूल भावना के विपरीत है। यह कानूनी असमानता समाज में महिलाओं और पुरूषों की आयु के साथ परिपक्वता के अंतर को गहरा करती है।

वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की आयु लगभग 12 वर्ष होने के बाद ही परिवार उसकी शादी के लिए मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रयासों की ओर प्रवृत्त होने लगता है, जिससे लड़कियों को विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही विद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चूँकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक पदों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है एवं विवाह के उपरांत महिलाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की संभावना क्षीण हो जाती है। इस कारण महिलाएं शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु अपने पुरूष साथी पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो जाती है।

जया जेटली टास्क फोर्स समिति की अनुशंसाओं के अनुसार जल्दी विवाह होने पर लड़की का शारीरिक विकास, शिक्षा एवं रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कम आयु में शादी के बाद कम आयु में ही गर्भवती होने पर मातृ मृत्यु दर का जोखिम भी बढ़ता है।

अतः महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु यह आवश्यक है कि उनके विवाह की न्यनूतम आयु को पुरूषों के समान किया जाए। यह विधेयक महिलाओं के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

महिला सशक्तिकरणः

- शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण

 विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होने पर महिलाएं स्नातक स्तर तक अपनी शिक्षा बिना किसी अवरोध के पूरी कर पाएंगी, जिससे रोजगार उन्मुख क्षेत्र में प्रगति कर अपनी आर्थिक निर्भरता को न्यून करने में सक्षम होंगी। ग्रामीण परिवारों का ध्यान विवाह से हटकर बच्चों के शारीरिक तथा आर्थिक पोषण पर केन्द्रित हो पायेगा। उच्च शिक्षा एवं रोजगार से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे वे अपने गृहस्थ जीवन में अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होंगी जो समाज के उत्थान में सहायक होंगे।

- शारीरिक एवं मानसिक विकास

 विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि होने से महिलाएं विवाह से पूर्व शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक परिपक्व तथा मातृत्व के संबंध में उचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकेगी। वे आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण पुरूष साथी पर अपनी निर्भरता को क्षीण करने में सक्षम होगी, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में अधिक स्थिरता और परिपक्वता आएगी जो पारिवारिक सौहार्द को बनाने में सक्षम होगी। इसके फलस्वरूप महिला एवं पुरूष दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।

चुनौतियाँ-

- **कानूनी अड़चने**

 मुस्लिम शरिया कानून के अनुसार लड़का एवं लड़की की विवाह हेतु न्यूनतम आयु 15 वर्ष है, परंतु बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक में इस निजी कानून को

अधिभावी करने का प्रावधान नहीं है। वर्तमान समय में बाल विवाह गैर-कानूनी है परंतु शून्य नहीं है। इसका कारण अवयस्क किशोरों के विवाह के बाद अधिकारियों के संरक्षण प्रदान करने हेतु किया गया है।

- **सामाजिक बदलाव**

 राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित होने वाले महिलाओं की संख्या 23.3 प्रतिशत है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक है। लगभग सात प्रतिशत महिलायें 15-19 वर्ष की आयु में गर्भवती हैं। अतः बाल विवाह रोकथाम के लिए कानूनी बदलाव से कहीं अधिक आवश्यकता सामाजिक सोच को बदलने की है।

- **आधारभूत संरचना**

 ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के उच्च शिक्षा से पूर्व शिक्षा से विमुख होने का कारण नजदीकी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों की अनुपस्थिति है। भविष्य में महिलाओं की आयु 21 वर्ष हो जाने के उपरांत अगर उनकी उच्च शिक्षा हेतु गुणवत्ता पूर्ण और सस्ते शिक्षण संस्थान उनक् नजदीकी क्षेत्रों में विकसित नहीं किये गये तो इन ग्रामीण परिवारों पर आर्थिक संकट गहरा जाएगा, जो कि समय के साथ महिलाओं के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण में वृद्धि का मुख्य कारण होगा।

बाल विवाह निषेध कानून महिलाओं को पुरूषों के समान स्थापित करने के साथ-साथ रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाला है परंतु हमने यह भी जाना कि मात्र कानूनी बदलाव रामबाण नहीं है। हमें कानूनी बदलाव के साथ ही सामाजिक बदलाव और आधारभूत संरचना का विकास भी करना होगा तब जाकर महिलायें पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्कृष्ट भारतीय समाज का निर्माण करने में सक्षम होंगी।



योगेश मीना,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है।
-महात्मा गाँधी

फ़ना



मेरी निगाहों को
जो ये मंजर नजर आया है
हकीकत है या कोई ख्वाब
तुमने दिखाया है
ग़र जो हकीकत है
तो करम कर दे
इस लम्हे को
ताउम्र जवाँ कर दे।
ग़र जो ख्वाब है कोई
तो बस इतना कर
सहर से पहले ही
मेरी रूह
फ़ना कर दे।

संजय कुमार,
लेखापरीक्षक



ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है
इच्छा पूरी हो, क्यों मन की।
एक दूसरे से न मिल सकै
यही विडंबना है जीवन की।।

-श्री जयशंकर प्रसाद

मानसबल : सबसे गहरी झील



मानसबल झील जम्मू और कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से लगभग 30 किमी उत्तर में स्थित है। यह कश्मीर घाटी की सबसे गहरी झील है और शायद एकमात्र ऐसी झील है जो स्थिर ग्रीष्मकालीन स्तरीकरण विकसित करती है। एक दूसरे को जोड़ने वाले किसी भी छोटे झरने से निकलने वाला पानी और कुछ मात्रा में बारिश या बर्फ का पिघला हुआ पानी पृथ्वी की झरझरा परतों के माध्यम से एक साथ जुड़ कर अपने स्तर को बनाए रखने के लिए एक उचित निकासी के साथ एक झील का निर्माण करता है। गांदरबल जिले में मानसबल झील श्रीनगर में प्रसिद्ध तीन डल झीलों और बांदीपोरा जिले की वुलर झील में से एक अदभुत झील हैं। यह पूर्वी-पश्चिम में 4 किमी लंबी और उत्तर-दक्षिण में एक किमी चौड़ी झील है। श्रीनगर से 32 किमी की दूरी पर गांदरबल जिले के अंतिम छोर पर यह झील स्थित है। यह अपनी सीमा बांदीपोरा जिले से 25 किमी की दूरी पर उत्तर-पश्चिम में स्थित सफापुर के साथ साझा करती है। डल झील पर होने वाले अतिक्रमण के विपरीत, अभी तक सबसे कम अतिक्रमण के साक्ष्य और इसकी तत्कालीन भौतिक आकृति और सीमाओं के प्रतिधारण सहित तीनों झीलों में सबसे छोटी मानसबल झील जल की शुद्धता में शीर्ष पर है। बहुत कम आबादी वाली परिधि, सभी पूर्वी आवासों और पश्चिमी एवं उत्तर-पश्चिमी किनारों पर मानवीय पुरवों से मुक्त आधे से अधिक इसकी परिधि के साथ ग्राटाबल गांव के तीन चौथाई भाग का अपसारण इसका मुख्य कारण है। इस झील का अभिलेखों में उल्लेख है कि यह एशिया महाद्वीप की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है।

ऐसा माना जाता है कि इसे 1200 झरनों द्वारा पोषित किया जाता है, जो इसे जलग्रहण क्षेत्रों से बहने वाले बारिश और पिघले बर्फ के पानी के साथ नारायणा गांव से सुंबल से होकर बहने वाली प्रसिद्ध झेलम नदी के माध्यम से से एक आउटलेट पासिंग को सरल बनाते हैं। किसी दुर्घटना दर के बगैर यह झील शांत होने के कारण पूरे वर्ष तैराकी और नाव/ शिकारा चलाने हेतु नौवहन योग्य है। इस झील का दक्षिण भाग इसके नाम को सार्थक करते हुए उपयुक्त आबादी वाले कोण्डाबल गांव सहित चूने पत्थर की खदानों हेतु प्रसिद्ध कोण्डाबल पहाड़ी (अहतुआंग के रूप में प्रसिद्ध) के रूप में चंद्राकार है और इसके उत्तर में ग्राटाबल, जकोरा बाग- बेगम नूरजहाँ द्वारा निर्मित एक मुगल

उद्यान के गांव/ मोहल्ला हैं, बांदीपोरा-सफापोर-सुंबल-श्रीनगर और बांदीपोरा-सफापोर-गांदरबल-श्रीनगर मार्ग संधि स्थल सहित टाउनशिप हेतु टिकिंग अप सफापोर के साथ-साथ बागवान मोहल्ला, फरगर्द मोहल्ला हैं। सफापोर नाम 16वीं शताब्दी में कश्मीर के मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा निर्मित बाग-ए-सफा से उद्धृत किया गया है। कुछ लोग इसे सैफुद्दीन नाम के प्रसिद्ध व्यक्तित्व से लिया गया मानते हैं। चार दिशाओं के विहंगावलोकन के विन्टेज बिन्दु सहित दूसरी पहाड़ी की तलहटी में काजी बाग में अवस्थित पुनर्निर्मित एक अतिथि गृह के साथ सुन्दर भू-आकृति वाले इसके पूर्वी भाग में जलीय खेल और खेल गतिविधियाँ होती हैं। काजी बाग का भी वही पूर्ववृत्त है जो ऊपर वर्णित है। इसके दक्षिण-पूर्वी भाग में अधिकांश इसी परिधि में और एक संलग्न मस्जिद सहित लगभग 10 फीट ऊँचा हीरे के आकार का एक मूर्ति स्वरूप पत्थर है। विलो वृक्ष और दलदल की पट्टियों वाला इसका पश्चिमी भाग सुंबल तहसील के नारायणा गांव के माध्यम से इसके आउटलेट पासिंग के साथ बृहत् खुलापन उपलब्ध कराता है जैसा कि ऊपर उद्धृत है जहाँ यह बांदीपुर तहसील में लगभग 12 किमी की दूरी तय करने के बाद सबसे बड़ी वुलर झील में मिलने के लिए यह झेलम नदी से मिलती है।

लगभग 11 किमी लंबे तट वाली यह 13 से 40 फीट गहरी झील नाव और शिकारा सवारी, मछली पकड़ने, कमल और सिंघाड़ों इत्यादि के निष्कर्षण के माध्यम से पूरे वर्ष हजारों लोगों को आजीविका उपलब्ध कराती है। झील में सभी दिग्बिन्दुओं से सभी मौसम की संयोजकता है और अधिकांशतः रविवार को इसका भ्रमण किया जाता है। यह दो जलापूर्ति योजनाओं हेतु जलद्वार उपलब्ध कराती है। एक इसके उत्तर और एक दक्षिण में है जो सफापोरा, छेवा, चन्दरगीर और नेस्बाल, कोण्डाबल, जाजना इत्यादि को पेय जल सुविधाओं का संवर्धन करते हैं। आर्थिक गतिविधि और मनोरंजन के अलावा धार्मिक आधार पर झील का केन्द्राभिमुख गुरुत्वाकर्षण है। प्राचीन मकबरा श्रीनगर-बांदीपोरा रोड़ के दांयी तरफ नीचे की ओर है और यहाँ से किसी भी तरह के वाहन को उड़ता हुआ आसानी से देखा जा सकता है। इस झील में भेदक आँखों और चौकस दिमाग के लिए बहुत कुछ है। वूलर और मानसबल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना के साथ उत्पन्न आशावाद को समय की कसौटी पर खरा साबित करने की लालसा नहीं की जा सकती है। जिसके लिए सार्वजनिक निगम एक शर्त के अधीन है। यह झील जम्मू एवं कश्मीर के पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए अब तक उपेक्षित है।

मोहम्मद जलालुद्दीन,
सेवानिवृत्त लेखापरीक्षा अधिकारी

बचपन का ज़माना



एक बचपन का जमाना था,
जहाँ हर कोई अपना और जिसमें खुशियों का खजाना था।
चाहत तो थी चाँद को पाने की पर,
दिल तितली-सा दिवाना था।



ना थी खबर सुबह की,
ना शाम का ठिकाना था।
थक कर आना स्कूल से और खेलने भी जाना था,
एक तरफ माँ की कहानी थी।
दूसरी तरफ परियों का फसाना था,
बारिश में कागज की नाव थी।
हर मौसम सुहाना था,
ना तो रोने की वजह थी, ना तो हँसने का बहाना था।
क्यूँ हो गये हम इतने बड़े,
इससे अच्छा तो वो हमारा बचपन का जमाना था।।

सुमन कुमारी,
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।
-श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र



गज़ल



1. ए मेरे शौक अब तेरी जुस्तजू ही नहीं
क्या तुझे भूल जाऊँ तेरी तिशनगी के लिये
मेरी हयात का है तसव्वुर तलखी शब
मैं अंधेरों में गुम हूँ तेरी खुशी के लिये।

2. जलवा तेरा मेरे ब्यान तक पहुँचा
आँख से देखा ही था दिल तक पहुँचा
इश्क का ये पहला कदम देखें कहाँ जाये
अकल का काम नहीं ये तो गुमान तक पहुँचा।

3. अश्क जब रवाँ होते हैं
कितने दिल जवां होते हैं
तेरा चेहरा दिल से थाम कर
इक घड़ी माहों-साल होते हैं
मेरे आगे तेरा वह बल खाना
कितने मुझ पर सवाल होते हैं
जब कभी भी तुम मुस्कुराते हो
चाक कितने गिरेहवान होते हैं
शौक दिल की आँख से देखे तुम्हें
कितने सारे गजल खान होते हैं।

4. रात फैली जब तेरी जुल्फ लहराई है
फिर चांद चमका जब मेरी जान मुस्कुरायी है
मैं कहाँ तेरे ख्यालों से निकल पाऊंगा
तुम लहू बन के मेरे दिल में समाई है।

5. चौदहवीं की रात हो और तेरा चर्चा ना हो
अश्क की धूम हो और तेरा जलवा ना हो
हुस्न की महफिल हो और तेरा चेहरा ना हो
हूरें हैं नगमा सरा और तेरा नगमा ना हो
वह मेरा इजहारे मुहब्बत और तेरी नाराजगी
इक तरफ ये दिल जला और तेरा मरहम ना हो।

6. उनकी मुहब्बत के हुनर खुलने लगे
दूर से आवाज वो देने लगे
सिराते मुहब्बत मुस्तकीम है लेकिन
उन की चाल में बल पड़ने लगे।

7. हम उन्हें देख कर ही चाहने लगे
बस यूँ ही गुनहगार होने लगे
वो जिधर भी है दिल है उनके पास
शौक हुस्न के खरीददार बढ़ने लगे।

इश्तियाक शौक,
सहायक पर्यवेक्षक (लेखा व हकदारी)

प्रणाम का महत्त्व



महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक दिन दुर्योधन के व्यंग्य से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि- मैं कल पाण्डवों का वध कर दूँगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पाण्डवों के शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था इसलिए सभी अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा- अभी मेरे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुँचे। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अन्दर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अन्दर जाकर पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने अखण्ड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि पुत्री तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आये है? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ और वे कक्ष के बाहर खड़े है तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा मेरे वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते है।

शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा तुम्हारे एक बार जाकर पितामह के प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवनदान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, दुस्शासन आदि को प्रणाम करती और उनकी पत्नियाँ भी पाण्डवों को प्रणाम करती तो शायद इस युद्ध की नोबत ही नहीं आती। वर्तमान में घरों में जो इतनी समस्याएं है, उनका भी मूल कारण यही है। जाने-अनजाने में अक्सर बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें तो शायद किसी भी घर में कोई क्लेश न हो। बड़ों के दिए आशीर्वाद बच्चों के लिए कवच की तरह काम करते हैं। उनको कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं भेद सकता। सभी इस संस्कृति को सुनिश्चित कर नियमबद्ध करें तो घर स्वर्ग बन जाएं, क्योंकि प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आँसू धो देता है, प्रणाम अंहकार मिटाता है।

प्रणाम भारतवर्ष की संस्कृति है।

सुमन कुमारी,
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

मेरी यात्रा : दूध सागर की ओर



नमस्कार! आप सभी को मेरा सादर प्रणाम! मेरा नाम गौतम राणा है। मैं उत्तराखण्ड के छोटे से गांव के एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। इस वक़्त मैं भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। मैं अपने वरिष्ठों और खासकर अमित राठी सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये लेख लिखने का सौभाग्य दिया।

आज का जो ये मेरा लेख है वो मेरी दूध सागर की यात्रा पर है। आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूँ कि ये गोवा और कर्नाटक के घने जंगलों के बीच पड़ने वाला एक बहुत ही सुन्दर झरना है। इसकी सुंदरता का अंदाज़ा आप इसे देख के ही लगा सकते हो। हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मैं एक एडवेन्चर लवर इंसान हूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है और मैंने भारतवर्ष के कई जगहों की यात्रायें इस छोटी-सी उम्र में की हैं। दूध सागर वॉटरफॉल देखने का मन मेरा उस समय से हुआ जब मैंने एक बॉलीवुड मूवी चेन्नई एक्सप्रेस देखी जिसमें इस झरने का चित्रण बहुत ही सुन्दर तरीके से किया गया है। यह झरना बिलकुल दूध की तरह दिखता है और और इस झरने को जब आप इसके नीचे खड़े होकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल बाहुबली मूवी का वो झरने वाला सीन याद आ जाएगा।

तो चलो मैं इस यात्रा को बिल्कुल शुरू से आरंभ करता हूँ। मैंने इस दूध सागर यात्रा का प्लान अगस्त 2019 में बनाया। मैं उस वक्त एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सहायक प्रबंधक के तौर पर काम करता था। चूँकि बैंकों में तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में हॉलिडे होम की सुविधा रहती है तो मैंने भी गोवा में हॉलिडे होम बुक करा लिया। गोवा की हॉलिडे होम की वेटिंग बहुत ही लम्बी रहती है सो मैंने लगभग तीन महीने पहले ही हॉलिडे होम बुक करा लिया था। यह भी मेरे लिए उस वक्त कोई कम उपलब्धि नहीं थी क्योंकि हॉलिडे होम में होटल का किराया बहुत ही कम रहता है और गोवा जैसी जगह के लिए तो इसकी बुकिंग लगभग असंभव-सी होती है। गोवा जाने के लिए मैंने अपनी पत्नी के साथ हवाई यात्रा की दो टिकटें भी एडवांस में बुक कर लीं। अब धीरे-धीरे अगस्त का महीना नजदीक आने लगा था। मैं आपको बता दूँ कि अगस्त का महीना मानसून का महीना होता है और ये हवाई जहाज की यात्रा मेरी पत्नी के लिए पहली हवाई यात्रा थी। गोवा के बारे में जब भी कोई आदमी सोचता है तो उसके दिमाग में वहाँ के बीच, धूप सेकती हुयी विदेशी महिलाएं, मदिरा पान और वाटर स्पोर्ट्स के बारे में ही ख्याल आता है। खैर मैं भी ये सब सोच के ही वहाँ गया था। अगस्त का महीना आते ही हम दिल्ली से गोवा की ओर हवाई यात्रा पर निकल पड़े। चूँकि मेरी पत्नी के लिए ये पहली हवाई यात्रा थी इसलिए मैंने खिड़की के पास वाली टिकट ही बुक करायी और अपनी पत्नी को हवा में बादल और नीचे जमीन के नज़ारे दिखाता रहा। हवाई यात्रा के दौरान आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में आ गये हों, चारों तरफ बादल ही बादल।

गोवा में जब हम पहुँचे तो वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, गोवा हमारे लिए बिल्कुल नया था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वहाँ हमें टैक्सी वालों की लाइन दिखी और कुछ ख़ास लोगों के लिए वहाँ नेम प्लेट लेकर कुछ लोग खड़े थे। उस वक़्त मेरे भी दिमाग में ये ख्याल आया कि काश! कोई मेरे लिए भी ऐसे ही नेम प्लेट लेकर खड़ा होता। टैक्सी वाले वहाँ आपको अलग-अलग जगह के नाम पुकारते हुए मिलेंगे। एक नाम जो मैंने पहले भी कई बार सुना था और आप सब ने भी इतिहास की किताबो में कई बार पढ़ा होगा, वो था "वास्कोडिगामा"। वहाँ कई टैक्सी वाले "वास्को रे, वास्को रे" चिल्लाते हुए मिलेंगे। चूँकि गोवा में पुर्तगालियों का शासन बहुत लम्बे समय तक रहा है, अतः वहाँ पर कई शहरों के नाम आपको पुर्तगालियों के नाम पर मिलेंगे। टैक्सी वालों से जब मैंने अपने होटल जाने तक का किराया पूछा तो वह अत्यंत अधिक था, इसलिए मैंने ओला या ऊबर बुक करने की सोची पर ओला/ ऊबर ऐप डाउनलोड करने पर पता चला कि इनकी सेवाएं वहाँ पर है ही नहीं। फिर मैंने वहाँ पर मौजूद कई लोगों को कोई गोवा की लोकल टैक्सी ऐप डाउनलोड करते हुए पाया और उस ऐप से मैंने भी गाडी बुक करा ली जोकि वहाँ पर मौजूद टैक्सी वालों के रेट से कई गुना सस्ती थी। गोवा में होटल पहुँचते ही मुझे वहाँ पता लगा कि वहाँ पर लोकल स्कूटी किराये पर मिल जाती हैं, सो मैंने भी ड्राइविंग लाइसेन्स की कॉपी जमा करके स्कूटी किराये पर ले ली। स्कूटी का एक दिन का किराया मात्र चार सौ रुपये था बाकी पेट्रोल अपनी तरफ से ही भरवाना पड़ता है। उस दिन चूँकि हमने "वास्को रे वास्को रे" ही सुना था तो स्कूटी से हम शाम को वास्कोडिगामा ही चल दिये और वहाँ के मार्केट का नज़ारा देखा। अगले दिन हम गोवा के अलग-अलग बीचों में घूमे जैसे बाघा बीच, कलंगूटे बीच वगैरह-वगैरह। हमारी किस्मत बहुत अच्छी रही कि उस बीच गोवा में रात को ही बारिश हुयी और दिन में जब भी हम घूमने निकलते तो बारिश बंद हो जाती। पूरी गोवा की यात्रा हमने स्कूटी से ही की, मेरी पत्नी पीछे बैठकर गूगल मैप्स से मुझे रास्ता बताती और मैं उसी के बताये अनुसार स्कूटी चलाता। गोवा में घूमते वक्त हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये शहर हमारे लिए नया है, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम इस शहर को पहले से जानते हैं। ये सब "गूगल बाबा" का कमाल था, पर जैसा मैंने सोचा था गोवा के बारे में, वैसा वह बिल्कुल नहीं मिला। जैसे बीचों में हो रहे वाटर स्पोर्ट्स, धूप सेकती हुई विदेशी महिलायें वगैरह-वगैरह। हा हा हा.. मानसून की वजह से सब बंद था और ये जानकर तो मुझे और दुःख हुआ कि दूध सागर वॉटरफॉल जाने का रास्ता भी बंद था। बहुत अरमान लेकर मैं गोवा आया था कि गोवा जाऊँगा तो दूध सागर जरूर जाऊँगा पर ये अरमान मेरे धुँधले हुए जा रहे थे। जितने भी लोकल लोगों से मैं वहाँ पूछता तो वे यही कहते, "इस वक़्त आप दूध सागर नहीं जा सकते, सफारी चलती है वहाँ पर, पर अभी मानसून की वजह से जंगल के बीच में पड़ने वाली नदियों में पानी बढ़ने की वजह से सफारी नहीं चलती"। पर पता नहीं मेरा दिल ये क्यों कह रहा था कि तू दूध सागर जा, जरूर खुला होगा वह, सफारी नहीं जायेगी तो क्या हुआ ट्रैकिंग तो हो ही सकती है। नेट में सर्च करने पर भी मुझे यही मालूम हुआ कि मानसून में आप दूध सागर नहीं जा सकते, ट्रैकिंग कर सकते हैं,

पर मानसून में वो भी बंद रहता है। मेरा मन उदास हो गया, मेरी पत्नी भी मुझे यही समझाने लगी कि नहीं जा पाएंगे हम लोग वहाँ। मेरे दिमाग में उस वक़्त ये ख्याल आया कि इतनी दूर आये हैं पता नहीं जिंदगी में कभी दोबारा यहाँ आ पाएंगे या नहीं सो मैंने ठान ली एक बार वहाँ जाकर तो देखते हैं बाकी देखा जायेगा। सो अपनी पत्नी से लड़-झगड़ के मैंने वहाँ जाने का प्लान बना लिया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, "तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ पर मैं तो जाऊँगा"। मेरी जिद को देखकर मेरी पत्नी ने घुटने टेक दिये और वो भी मेरे साथ चलने को राजी हो गयी। "अपने पति को कोई कैसे अकेला छोड़ सकता है" शायद यही मेरी पत्नी ने सोचा होगा। अब स्कूटी से हम दूधसागर की ओर चल दिये। मैं आपको बता दूँ कि दूधसागर जाने के लिए कोल्लम नाम की जगह पर जाना पड़ता है और फिर वहाँ से बारह किलोमीटर जंगल का रास्ता है जो कि स्कूटी से तय नहीं किया जा सकता। कोल्लम हमारे होटल से तकरीबन साठ किलोमीटर दूर था सो हम गूगल बाबा की मदद से स्कूटी से कोल्लम की ओर निकल पड़े। कोल्लम जाते वक़्त हमें पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का बहुत ही सुन्दर नज़ारा देखने को मिला। कोल्लम जाने का रास्ता बड़ा ही डरावना था। आस-पास जंगल ही जंगल और हमारी स्कूटी सुनसान रास्तों से हवा से बाते करते हुए निकले जा रही थी। दूरी ज़्यादा होने की वजह से बीच में मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं हमारी स्कूटी का पेट्रोल बीच जंगल में ही ख़त्म न हो जाए। बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर पहाड़ों के बीच एक पेट्रोल पंप मिला और मैंने वहाँ स्कूटी की टंकी फुल करवा ली, फिर कहीं जाकर मुझे सुकून मिला। जैसे-तैसे हम कोल्लम पहुँच गये, कोल्लम पहुँचते ही वहाँ कई गाइड्स "दूध सागर....दूध सागर" चिल्लाते हुए मिले। ये देखकर मेरी ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने अपनी पत्नी से तुरंत कहा, "देखा, मैंने कहा था न तुम तो मेरी बात मानती ही नहीं हो"। एक गाइड से हमने फिर बात की उसने कहा, "सफारी तो इस टाइम बंद है, आपको मैं पैदल वहाँ तक ले जा सकता हूँ"। मैंने मन में सोचा, "तू कैसे भी ले चल बस ले चल"। गाइड ने हमसे फिर दूध सागर तक ले जाने के एक हजार रुपये मांगे। पाँच सौ रुपये हमने उसी वक़्त दे दिये बाकी पाँच सौ उसने कहा कि दूध सागर से लौटकर दे देना। उसने हमारी स्कूटी एक ढाबे पर खड़ी करवा दी और चाय-नाश्ता लेने को कहा। उसी समय बारिश होनी चालू हो गयी। हमने सोचा अब क्या होगा, गाइड ने कहा टेन्शन न लो बरसाती का जुगाड़ हो जाएगा। उसी टाइम हमने एक अँगरेज़ को अकेले एक गाइड के साथ बरसाती ओढ़े हुए दूध सागर पैदल जाते हुए देखा। उसे देखकर हमारी थोड़ी हिम्मत बढ़ी। गाइड ने हमें लाइफ जैकेट पहनने को दी, हमने कहा, "इसकी क्या ज़रूरत है"। उसने कहा, "आगे चलो पता चल जाएगा"। फिर चाय-नाश्ता करके हम दूध सागर की ओर पैदल चल दिए। अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, तो उसमें एक ट्रेन का दृश्य है जो बिल्कुल दूध सागर के सामने ही खड़ी होती है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन की पटरी दूध सागर तक जाती है, सो वो गाइड हमें ट्रेन की पटरी पर चलते हुए हमें दूधसागर की ओर ले जाने लगा। एक बात आपको मैं बता दूँ कि ट्रेन की पटरी पर चलना बड़ा ही मुश्किल होता है, आपको अपने डग एक निश्चित दूरी पर रखने होते हैं और अगर न रखो तो पत्थर के

बीच आपको चलना पड़ेगा, तब पत्थर आपको चुभने लगते हैं। पटरी पर चलने का एक डर यह भी बना रहता है कि कहीं ट्रेन अचानक से न आ जाये और आप एक झटके में खल्लास। ऊपर से जंगल। गाइड से हमने कहा कि कहीं ट्रेन अचानक से आ गयी तो उसने कहा, "मैं हूँ न, बहुत सालों का अनुभव है मुझे, यहाँ जंगल में शेर-हाथी भी रहते हैं"। यह सुनकर हमे सांप सूंघ गया कि कहीं अचानक से शेर आ गया तो। उस जंगल में उस वक़्त हम सिर्फ तीन लोग ही चले जा रहे थे, मैं, मेरी पत्नी और वो गाइड। गाइड ने कहा, "अरे डरने की जरुरत नहीं है, शेर यहाँ नहीं आएगा, पटरी में ट्रेन की आवाज़ सुनकर वो इस इलाके से दूर ही रहते हैं", यह सुनकर हमें थोड़ी तसल्ली हुयी। ट्रेन की पटरी पर चलते-चलते मेरी पत्नी की चप्पल टूट गयी सो मैंने अपनी चप्पल अपनी पत्नी को दे दी पर पटरी पर नंगे पैर चलने में मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी सो गाइड ने अपनी चप्पल मुझे पहनने को दे दी। गाइड चूँकि एक्सपर्ट था, कई सालों से वो वह काम कर रहा था सो उसे पैदल पटरी पर चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और ये जानकार मुझे आश्चर्य हुआ कि वो ट्रेन की आवाज़ हमसे पहले ही सुन लेता था और ये बता देता था कि ट्रेन किस तरफ से आने वाली है और ट्रेन के आने से पहले ही हम पटरी से अलग हो जाते थे। पटरी पर कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम फिर पटरी से अलग हो गए और जंगल में चलने लगे। जंगल के बीच में अकेले होने पर मुझे अपनी पत्नी की भी चिंता सताये जा रही थी, आप लोगों को तो पता ही है हमारे देश में महिलायें अकेले सुरक्षित नहीं होती हैं, वही पुरूष मानसिकता। बीच-बीच में जंगल में हमें छोटे-छोटे झरने और नहरें मिलीं, ये हमारे लिए एक अनोखा अनुभव था, प्रकृति का इतना सुन्दर नज़ारा मैंने कहीं नहीं देखा था। कहीं न कहीं ये देखकर मुझे ख़ुशी भी हो रही थी कि अगर यहाँ आने की ज़िद न करता तो शायद ये नज़ारे न ले पाता। धीरे-धीरे चलते हुए हम फिर जंगल के बीचों-बीच एक मंदिर में पहुँचे, ये देखकर मैं हैरान था कि वहाँ पर एक छोटी-सी चाय की दुकान भी थी और वहाँ पर एक बूढ़ी-सी महिला चप्पल भी बेच रही थी। हमने वहाँ उस महिला से हवाई चप्पल भी खरीदी। अकेली दुकान होने की वजह से सामान वहाँ थोड़ा महंगा था पर क्या करते, मजबूरी का नाम महात्मा गाँधी। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये महिला यहाँ कैसे जीवनयापन करती होगी, बिल्कुल जंगल के बीचों-बीच। फिर हमने मंदिर के दर्शन किये और आगे निकल गए। आगे रास्ता तो और भी खतरनाक आने वाला था। एक बहुत बड़ी नदी बीच रास्ते में पड़ी और उस नदी को पार करने के लिए छोटी-सी लकड़ी का झूलता हुआ पुल। पुल की रस्सी को पकड़ते हुए जैसे-तैसे हम उसको पार कर गए। बीच में चलते चलते कभी-कभार गाइड हमसे बहुत आगे निकल जाता था और फिर दिखना भी बंद हो जाता था, उस वक़्त ऐसा लगता था मानो हम जंगल में अकेले हों। कई छोटी-छोटी नदियों को भी हमें उसके बीच से होकर पार करना पड़ता था। बारिश की वजह से इन छोटी नदियों में पानी बढ़ गया था, उस वक़्त हमें अहसास हुआ कि गाइड ने हमें लाइफ जैकेट शुरू में पहनने के लिए क्यों दी थी। कहीं भी पैर फिसला और हम गये। मेरी पत्नी मुझसे बार-बार कहती कि अरे! कहाँ मरने को ले आये हो, वापस चलते हैं। बीच में तो मुझे भी ऐसा लगा की

वापस ही चलते हैं पर मन में यह दृढ़ भावना थी कि दूध सागर तो देखकर ही जाना है। थक भी बहुत गए थे, हम दोनों पैदल चलते-चलते पर धीरे-धीरे आगे चलते रहे। एक जगह पर तो मेरा पैर एक कंटीली झाड़ी से टकरा गया और मेरे एक पैर की उंगली से खून भी बहने लगा, पर दर्द कहाँ होता मुझे, मन में दूध सागर का जो भूत चढ़ा हुआ था। आगे चलते गए हम फिर भी, फिर अचानक से हमें वो अँगरेज़ अपने गाइड के साथ वापिस आते दिखा, हमने कहा, "तुम वापस भी आ गए, कितनी दूर है दूध सागर?" उसने कहा, "ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत ही सुन्दर है"। चूँकि अँग्रेज़ वो लम्बा चौड़ा था और इन लोगों का स्टैमिना भी बहुत खतरनाक होता है सो वो हमें जंगल में कहीं जाते वक़्त मिला ही नहीं, पता नहीं कितना आगे निकल गया था हमसे वो। फिर वो पल आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था, दूर से हमें दूध सागर देखने को मिला, क्या नज़ारा था वो। सारी थकान मिट गयी थी उसको देखकर। गाइड ने कहा कुछ लोग यहाँ तक आते हैं और फिर यहीं से वापिस चले जाते है। उसने कहा पर मैं आपको और आगे तक ले जाऊंगा और बिल्कुल उसके पास नीचे से आपको ये झरना दिखाऊंगा। अब आगे का रास्ता और खतरनाक था, एक छोटी-सी पहाड़ी के किनारे-किनारे चल रहे थे हम लोग और ठीक उसके नीचे नदी बह रही थी। ऐसा लगा रहा था कि पैर फिसला और सीधे नदी में अंदर। मैंने अपनी पत्नी से कहा, "अरे! अब वापस चलते हैं, देख लिया दूध सागर"। मेरी पत्नी को पता नहीं उस वक़्त कहाँ से हिम्मत आ गयी थी, उसने कहा, "अरे! इतनी दूर आ गए हैं तो थोड़ा और दूर सही"। मेरी पत्नी की वजह से मुझे थोड़ी हिम्मत आयी पर मेरे मन में उस वक़्त यही ख्याल आ रहा था कि अब यहाँ आ तो गए हैं पर वापिस पता नहीं जा पाएंगे या नहीं क्योंकि बारिश की वजह से नदी में पानी बढ़ता ही जा रहा था और मुझे वो छोटी- छोटी नदियों की याद आ रही थीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये हमारा आखिरी दिन है। फिर वो पल भी आया जब हम ठीक उस झरने के बिल्कुल नीचे थे। बाहुबली का वो झरने वाला सीन मुझे याद आने लगा और चेन्नई एक्सप्रेस का वो पुल भी ऊपर साफ़ दिखायी दे रहा था। झरने की वजह से हमारे ऊपर पानी की फुआर भी पड़ रही थी। गाइड ने हमसे कहा कि और ऊपर चलना है क्या? मैंने कहा, "अब नहीं भाई कहीं ऊपर जाते-जाते ऊपर ही न चले जायें"। थोड़ी देर वहाँ नज़ारे देखने के बाद हम वापिस निकल पड़े। अब हम बहुत थक चुके थे। वापिस आते वक़्त फिर वो छोटी-छोटी नदियाँ जैसे-तैसे कभी इस पत्थर कभी उस पत्थर पर पैर रखकर पार की। ये सब करने के बाद गाइड से हमने कहा, "अब वापिस पैदल चलने की हिम्मत नहीं है हममें"। उसने कहा, "एक शॉर्टकट है मेरे पास पर उसके लिए दो सौ रुपये और लगेंगे, ऊपर एक पटरी जा रही है और इस वक़्त मालगाड़ी आने का समय आ गया है। अगर तुम कहो तो मालगाड़ी में बैठा कर ले जा सकता हूँ"। फिर हम ऊपर पटरी की ओर निकल पड़े। वहाँ एक छोटा-सा स्टेशन था, वहाँ जाकर पता लगा कि मालगाड़ी आ ही नहीं रही है, मन बड़ा उदास हो गया। फिर हम नीचे की ओर आये और पैदल आगे की ओर चलने लगे। पता नहीं अचानक से गाइड को क्या हुआ उसने कहा, "मालगाड़ी आने वाली है, ऊपर पटरी की ओर चलो"। हमने कहा, "अब और हिम्मत नहीं है ऊपर-नीचे

ऊपर-नीचे चलने की"। उसने कहा, "मेरा विश्वास करो मैं अपने कानों से पता लगा लेता हूँ"। उसके कहने पर हम ऊपर चल दिए पर इस बार हमें वो स्टेशन के बजाय आगे की ओर पटरी के किनारे ले गया। उसने कहा मैं ट्रेन को रुकवा दूंगा। हमें यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ट्रेन भला किसी के लिए कैसे रुक सकती है?

फिर हम ट्रेन का इंतज़ार उस भीगी बारिश में करने लगे। गाइड के पास एक छाता था जो उसने हमें दे दिया और कहा, "यहीं पटरी के पास बैठ जाओ"। पटरी पर बैठे-बैठे जब हमने आस-पास देखा तो क्या नज़ारा था, बीच जंगल, बारिश और छोटे-से पहाड़ के बीच से जाती हुई लम्बी-सी पटरी और उस पटरी के पास बैठकर हमारा ट्रेन का इंतज़ार करना। ये कोई फ़िल्मी दुनिया के दृश्य से कम नहीं था। फिर क्या थोड़ी ही देर में ट्रेन आयी और उस गाइड ने ट्रेन को हाथ दिखाकर उसे रुकवा दिया। दरअसल इनको अंदाज़ा होता है कि ट्रेन कहाँ धीमी होती है। उसी जगह हम खड़े थे। फिर गाइड ने पता नहीं क्या ड्राइवर से बात की और हमसे दो सौ रुपये मांगे। हमने दो सौ रुपये तुरंत गाइड को दे दिये फिर उन्होंने हमें ट्रेन के इंजन में अपने पास बैठा लिया। ट्रेन के इंजन में बैठकर जाना एक अलग ही अनुभव था और शायद हर आम भारतीय के मन में कहीं न कहीं जीवन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि एक दिन वो ट्रेन के इंजन में बैठकर सवारी करे। ये सब हमें एक सपना-सा नज़र आ रहा था। फिर उन्होंने हमें कोल्लम के स्टेशन से कुछ दूर पहले ही उतार दिया। कहा कि स्टेशन पर नहीं उतार सकते। फिर थोड़ी दूर पटरी के किनारे चलते-चलते हम कोल्लम पहुँच गए। वहाँ गाइड को हम पूरे पैसे देकर उसको धन्यवाद कह कर अपनी स्कूटी से वापिस चल दिए। बारिश ज़्यादा होने की वजह से अब हम मोबाइल में गूगल मैप लगाने में असमर्थ थे, सो हमने एक छोटी-सी थैली का जुगाड़ करके उसमें मोबाइल डालकर गूगल मैप की मदद से वापिस आये।

ये अनुभव मेरे और मेरी पत्नी के जीवन का एक यादगार अनुभव है और शायद हमेशा रहेगा। कुछ पल जिंदगी के ऐसे होते हैं जिन्हें आप बता नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये पल उन पलों में से एक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप लोग गोवा जाएं तो एक बार दूध सागर ज़रूर जाएं पर याद रहे मेरी तरह मानसून में कभी न जाएं। हा.. हा... हा... !

मैं आशा करता हूँ कि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपके मन में दूध सागर जाने का रोमांच जरूर आया होगा।

गौतम राणा,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

मेरा घर



खण्डहर बना जो वीरान पड़ा वह
सपनों में आता जो
आज भी इतना ही प्यारा है
मेरी आँखों का तारा है
वह मेरा घर....
मेरे इस संसार में आते ही
वह खुशी के आँसू रोया था
अपनी गोद में लेकर मुझे
बड़े लाड़ से पाला-पोसा था
आँगन में मुझे खेलता देखकर
मन ही मन मुस्कुराता था।
शीतकाल की चुभती ठण्ड से मुझे बचाता था
फूट-फूट कर रोया था यह भी उस रात
चला था उससे दूर इसी वादे के साथ
कि शीघ्र पुनः मिलेंगे
पर एक मुद्द्त हुयी उसे तनहा छोड़
बारूद की गन गरजते शोर में
आदत थी जिसकी चिड़ियों के चहचहाते
मधुर संगीत में रहने की
पर आज भी मेरा दृढ़ विश्वास है
कि वादा निभाऊँगा
मैं ज़रूर आऊँगा।
ज़ख्मी तन पर मरहम लगाऊँगा
और गले लगाऊँगा
ज़ुल्मों सितमों की दास्तां सुनुँगा
और सुनाऊँगा।।

विनोद भट्ट 'शाद'
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

बिहार दिवस



22 मार्च अंग्रेजों द्वारा ग्रैगेरियन कैलेण्डर की एक सामान्य सी तिथि है। देखने या सुनने के नजरिये से यह कोई विशेष महत्त्व वाला दिन ज्ञात नहीं होता है, किन्तु यदि आप भारत के एक प्रदेश की ओर देखते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि यह दिवस अपने आप में विशेष महत्त्व रखता है।

भारत में एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। 22 मार्च 1912 को अंग्रेजी शासन ने अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बंगाल से विभाजित करके एक प्रदेश की स्थापना जिसका नाम बिहार रखा गया।

बिहार राज्य की स्थापना को वर्तमान में 110 वर्ष पूरे हो गये हैं परन्तु यह राज्य इतिहास की दृष्टि से नया नहीं है, अपितु बिहार का संबंध विभिन्न कालों से है। वैदिक काल में ऋग्वेद का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उस काल में भी बिहार का किकट प्रदेश के नाम से वर्णन किया गया है। वेदों और पुराणों का विस्तृत अध्ययन करने पर यह वर्णन यह ज्ञात होता है कि आर्यों ने भारत की ओर उत्तर वैदिक काल में ईसा पूर्व 900-700 के लगभग निवास करना प्रारंभ कर दिया गया था। ईसा पूर्व 700 में भारत में महाजनपदों के उदय का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में पाली भाषा में छोटे कबीलों को जन कहा जाता था जो कि कालातंर में संगठित होकर महाजनपदों में स्थापित हो गये। 700 से 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का वर्णन ज्ञात होता है जिनमें से तीन महाजनपद अंग, मगध एवं वज्जि संघ वर्तमान बिहार में ही स्थापित थे।

इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी राजा भगवान श्री राम चन्द्र का विवाह विदेह राजवंश की राजकुमारी सीता जी के साथ हुआ था। विदेह राजवंश वज्जि संघ का एक क्षेत्र था जिसके राजा जनक विदेह थे। बिहार में राजा बृहद्रथ ने 700 ईसा पूर्व में मगध राजवंश की स्थापना की थी। इक्ष्वाकु वंश के अंतिम राजा घनानंद को अपदस्थ कर चंद्रगुप्त मौर्य ने 600 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी एवं इसी वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अभी तक का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली भारतवर्ष का विस्तार किया था।

कालातंर में महात्मा बुद्ध एवं महावीर का जन्म बिहार में हुआ जिन्होंने बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना की जिसका प्रसार भारत से बाहर अन्य देशों में भी हुआ। वर्तमान में बिहार बौद्ध एवं जैन धर्म के सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में विश्व विख्यात हैं।

वर्तमान में संसार का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ बिहार ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करवायी हो। देवी सीता के विवाह में भी बिहार है और राक्षसी ताडका के वध में भी बिहार है और जय प्रकाश नारायण के आंदोलन में भी बिहार है। अर्थशास्त्र की नीतियाँ लिखने वाले चाणक्य में भी बिहार है। मुगलों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शेरशाह सूरी के रूप में बिहार है। अंग्रेजों से हार न मानने वाले बाबू कुँवर सिंह के रूप में बिहार है। जमीन पर द्रुत गति से दौड़ती रेलगाड़ी से लेकर आसमान में उड़ते हवाई जहाजों में पायलट के रूप में बिहार की मौजूदगी है। जमीन पर अपना पसीना बहाकर अनाज पैदा करने से लेकर मंत्रालय में उसका सर्मथन मूल्य तय करने में बिहार मौजूद है। बिहार सूर्य के समान है और सूर्य बिहार के समान है। दुनिया बिहार के अस्त होने का भ्रम पाले बैठी है किन्तु बिहार कभी अस्त नहीं हो सकता है। सूर्य बिहार का अधिकारी है और बिहार सूर्य का उत्तराधिकारी है।

22 मार्च 2022 बिहार दिवस की समस्त बिहार वासियों को शुभकामनाएं।

संजय कुमार,
लेखापरीक्षक



हिन्दी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है,
जिसे बिना भेदभाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।

-मदन मोहन मालवीय

आंगनवाड़ी



हाँ, माँ याद है मुझे आज भी वो दिन
जब तुम मुझे एक बंद कमरे में छोड़ कर चली गयी दुबारा
आने के लिए
बहुत दुःखी हुआ मैं तुम्हें जाता देखकर
अचरज भरी नजरों से तुम्हें देखता रहा एकटक
तुम एक बिन्दु बन गयी एक समय बाद, मैं तब रोने लगा।
रोते-रोते मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो देखा कि मुझ जैसे
वहाँ तो पता नहीं कितने थे
सब खेल रहे थे एक दूजे के साथ मैं भी उनके साथ लग लिया
खेलने लगा
अचानक खुशी-सी मिल गयी मुझे जिससे मैं अभी तक वंचित था
मैं बहुत खुश था क्यों कि बच्चे मुझे पसंद जो हैं
अचानक से पड़ी मेरी नजर एक माँ-सी दिखने वाली एक कृति पर
अरे-अरे ये तो सब की ही माँ है
उसे सबकी माँ समझ मैं
धीरे-धीरे रोने लगा, बस वहाँ मुझे छोड़कर सबके पास माँ जो थी
पता चला वो मेरी भी माँ थी, मैं आंगनवाड़ी में था
छोटे-छोटे मीठे-मीठे फूलों से सजा आँगन-आंगनवाड़ी
कृति अब कृति न रही माँ बन गयी थी
मुझे खाना खिलाती, पानी पिलाती, हँसाती, उठाती, गुदगुदाती
मेरी प्यारी-प्यारी आंगनवाड़ी वाली माँ
सो गया थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ जमीन पर ही
और माँ ने भी चिन्ता न की और सोने दिया
पहली बार पता चला कि धरती का सीना सच में ठण्डा होता है
दो नहीं तीन माँ हो गयीं अब मेरी।
नींद खुली तो सामने खिलौनों का समंदर और उसमें तैरती
बच्चों-सी दिखने वाली हजारों नावें
मैं भी नाव-सा दिखने लगा खुद को और कूद पड़ा समंदर में
उन ऊँची-ऊँची लहरों के बीच महसूस किया मैंने खुद को
जगा-जगा-सा।

कुछ समय बाद कुछ चेहरे मेरे जहन में उतर-से गये
और कुछ मैंने देखे ही नहीं और कुछ भूल ही गए
माँ की नजर पड़ी पर पड़ी तो पता चला यह भी कुछ है
चिड़िया ने बाहर निकल कर कू-कू किया तो

मुझे पक्षियों से प्यार ही हो गया, वह भी तो मैं ही हूँ
एक पक्षी अभी मानव नहीं बना मैं जानता था तब भी
माँ ने भी वही किया जो माँ ने किया था
चल पड़ी बिन्दु बनने और इत्तफाक कि पीछे मुड़कर देखा भी नहीं
मेरी आँखें फिर-से छलक गयीं
बिन्दु इस बार कुछ अलग-सा लगा
इस बार वह गायब न होकर बढ़ने लगा
कुछ समय बाद वह तो माँ बन गया मेरी माँ
मेरी प्यारी माँ।
छलकती आँखों को पौंछा और मुझे गोद में उठाकर
चूम कर कुछ फुसफुसाया माँ ने
फिर चल दिये हम दोनों बिन्दु बनने
जब पीछे मुड़ कर देखा मैंने वह समंदर खिलौनों का
शांत-शांत दिखा
मैं फिर से फूट-फूट कर रोने लगा
हाँ, माँ याद है मुझे आज भी वो दिन
जब तुम मुझे एक बंद कमरे में छोड़ कर चली गयी
दुबारा आने के लिए।।

रमन कटारिया,
सहायक लेखा अधिकारी



हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है।
-श्री राहुल सांकृत्यांकन

मोहब्बत



की जिनसे मोहब्बत हमने, बेवफा निकले
राह में छोड़ के अकेले चले गये

जख़्मी दिल ऐसा दिया जो हम सह न सके
मरहम करना चाहा लेकिन कर न सके।

वो कसमें, वो वादे अब सताने लगे
भूलना चाहा लेकिन भूल न सके

आये थे इस गुलशन में गुल देखने
गुल तो देखा लेकिन गुलजार न देख सके।

तड़प रही, रहेगी अब जिन्दगी भर के लिए
मिल जाए आशना मुझे इक बर के लिए

वो इकरार क्यों था ये इन्कार किसलिए
राह में छोड़ना ही था वो मिलना किस लिए।

चुबक दिया क्या तीर दिले मुज़तर को
दिल फिगार बनाया बस खूँचकाँ के लिए

सोया था अपनी नींद में जगाया आपने
जगाया है तो लेकिन बस तड़पने के लिए।।

इजहार अहमद शाह,
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

हिन्दी आम बोलचाल की महाभाषा है।
-जॉर्ज ग्रियर्सन



हिन्दी है अपना सम्मान,

अपनी कला, अपनी संस्कृति और सभ्यता की यह पहचान।

स्व संवेदनाओं का यह परम् उद्‌गार

शब्द शक्ति इसमें है अपार।

अगर विधिवत् यह उद्‌भाषित की जाती

तो यह हो जाती ह्रदय के पार।

सपने जन-जन के करती यह साकार

इसमें संभावनाओं का अंबार।

जब बोली जाती यह सहित आचरण

तो फिर लगती यह मंगलाचारण।

राज-काज में नित्य अपनाकर आओ दिलाएं इसे सम्मान

जिससे सुशोभित होकर निकले यह

हमारे महान भारतवर्ष की शान।

श्री ऊदल सिंह सोलंकी,
वरिष्ठ अनुवादक

हिन्दी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता।
-पण्डित गोविन्द बल्लभ पंत

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) तथा राजभाषा नियम, 1967 (यथासंशोधित 1987 एवं 2007, 2011)

संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी, 1950 से संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा बनी। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह उल्लिखित है कि भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तत्पश्चात राष्ट्रपति जी ने सन् 1952 तथा 1955 और 27 अप्रैल, 1960 को राजभाषा हिंदी से सम्बंधित विस्तृत आदेश जारी किए। तदुपरांत संविधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967) तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 की शक्तियों का प्रयोग कर राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987) बना। राजभाषा अधिनियम एवं नियम से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी निम्नलिखित है-

नियम 5- हिन्दी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिन्दीः हिंदी में पत्र आदि का उत्तर चाहे वे किसी भाषा क्षेत्र से प्राप्त हो और किसी भी राज्य सरकार, व्यक्ति या केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिया जाए।

नियम 7- आवेदन, अभ्यावेदन आदि का उत्तरः कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में करता है या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर करता है तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए।

नियम 7 (3)- सेवा संबंधी आदेश या सूचनाः यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही भी है) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसको कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, हिन्दी या अंग्रेजी में होना चाहिए, तो वह उसे किसी विलम्ब के बिना उसी भाषा में दिया जाए।

अधिनियम धारा 3 (3) के दस्तावेज, मैनुअल आदि जो द्विभाषी होने चाहिएः

निम्नलिखित दस्तावेज आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएः संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनायें, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस

विज्ञप्ति। संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र। संविदाओं और करारों का निष्पादन, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र और निविदा के लिए नोटिस और प्रारूप।

नियम 11- (क) सभी मैनुअल, संहिता और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाए या प्रकाशित किया जाए।

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों। (ग) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र-शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी जाएं व मुद्रित या उत्कीर्ण की जायें। यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है। इस परन्तुक के अधीन छूट के लिए कोई प्रस्ताव उसका पूरा औचित्य दिखाते हुए राजभाषा विभाग को भेजा जाए।

नियम 10- कार्यसाधक ज्ञानः यह समझा जाएगा कि किसी कर्मचारी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

यदि उसने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या ऊँची परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या केन्द्रीय सरकार के हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पदों के संबंध उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है या वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या वह राजभाषा नियम के संलग्न प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

नियम 9- प्रवीणताः किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है,

यदि उसने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे ऊँची कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के बराबर या उससे ऊँची किसी परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, या वह राजभाषा नियम में संलग्न प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

नियम 10 (4) एवं 8 (4)-

केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों को जिनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो राजभाषा नियम 10 (4) के अधीन अधिसूचित किए जा चुके हैं, विनिर्दिष्ट कर सकती है कि उनमें ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।



देकर अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता को मान।
करें अपनी मातृभूमि का सम्मान।।

ऊदल सिंह सोलंकी,
वरिष्ठ अनुवादक

हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2022-23 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद।	100%	100%	100%

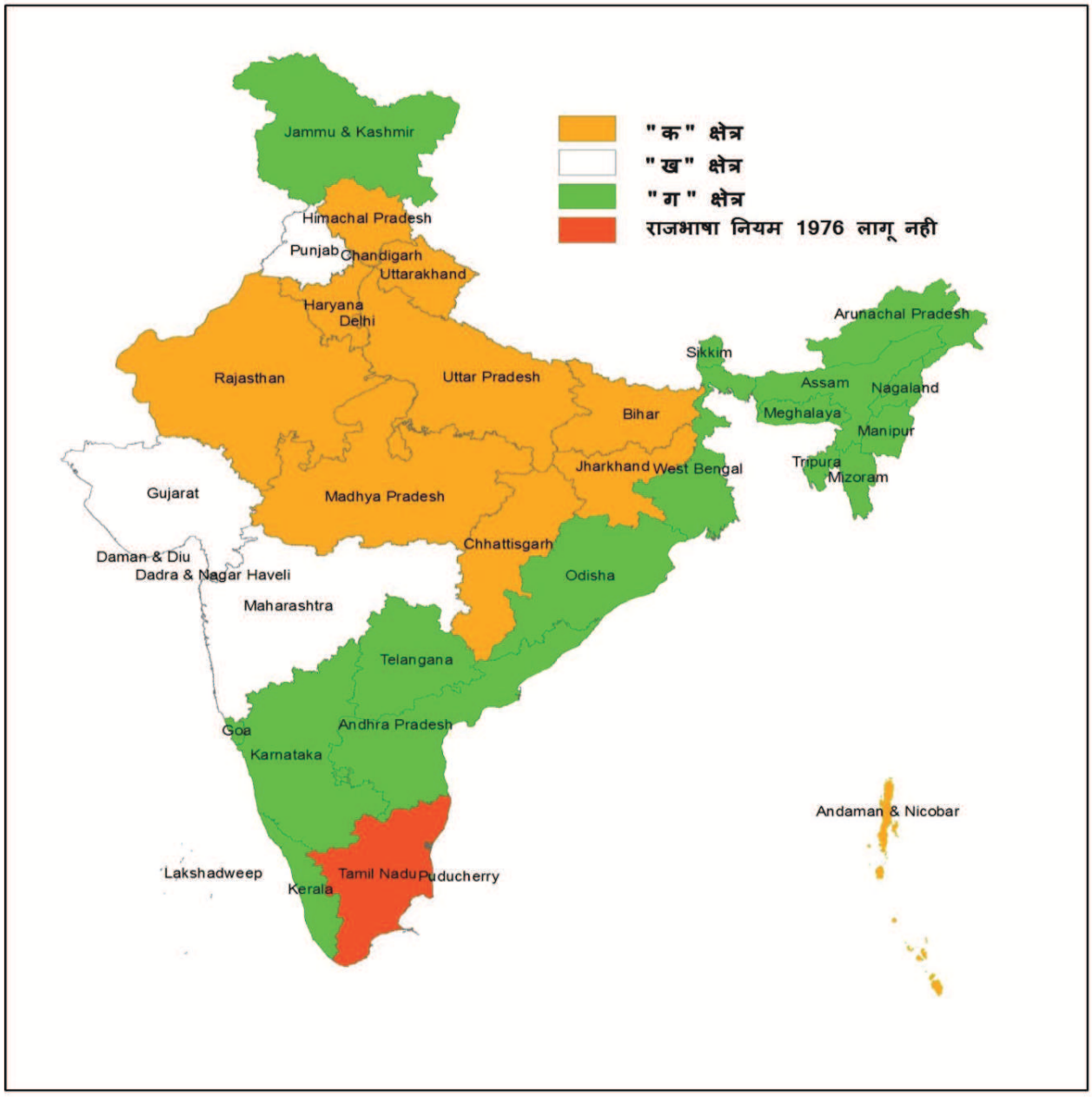
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 2 बैठकें		
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)		
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	40%	30%	20%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।

राजभाषा नियम, 1976

हिंदी के अनुमानित ज्ञान के आधार पर देश के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तीन क्षेत्रों, यथा - क, ख, ग में परिभाषित किया गया है



राजभाषा नियम, 1976

- हिंदी के अनुमानित ज्ञान के आधार पर देश के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तीन क्षेत्रों, यथा - क, ख, ग में परिभाषित किया गया है।

भाषा क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य
'क'	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य हैं
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य
'ग'	उपरोक्त निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य

आपके पत्र

❖ पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौलिक लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने में प्रेरक भूमिका निभाएगी।

हिन्दी अधिकारी,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम, बेलतला, गुवाहटी-29

❖ पत्रिका का कलेवर, संयोजन, साज-सज्जा व संपादन सशक्त व प्रभावोत्पादक है। पत्रिका में शामिल लेखों से यह दृष्टिगोचर होता है कि आपका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए किया गया कार्य सराहनीय है। कार्यालय में संपन्न अन्य गतिविधियों के चित्रों से यह ज्ञात होता है कि कार्यालय में सरकारी कामकाज के साथ-साथ कार्मिकों के स्वास्थ्य एवं मनोरंजन का भी विशेष ख्याल रखा जाता है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (राजभाषा अनुभाग)
प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-2 नागपुर, महाराष्ट्र-440001

❖ पत्रिका आवरण एवं साज-सज्जा सुंदर एवं लुभावना है। उसका बाहरी रंग रूप ही नहीं, आंतरिक सौन्दर्य भी आकर्षित करता है। पत्रिका में सम्मिलित सभी रचनाएं सराहनीय एवं ज्ञानवर्धक हैं। सभी रचनाकार बधाई के पात्र हैं। आशा है कि यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों की मौलिक लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने में प्रेरक भूमिका निभाएगी।

वरीय लेखा अधिकारी (हिन्दी कक्ष)
प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) का कार्यालय, बिहार,
पटना

❖ हिंदी भाषा की सृजनशीलता के उत्थान हेतु आपका यह प्रयास सराहनीय है जिसके लिये आपका राजभाषा परिवार बधाई का पात्र है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (हिन्दी कक्ष)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), हिमाचल प्रदेश,
शिमला-171 003

❖ पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं उच्चकोटि की हैं। विशेषकर श्रीमती ईला सिंह द्वारा रचित ''डल एक अहसास'' से जो जम्मू-कश्मीर के आसपास के पर्वतों की सरस सुंदरता, झील के पानी का तेज प्रवाह और उसकी ध्वनि, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का अविस्मरणीय अहसास, शिकारा आदि मंत्र मुग्ध कर देने वाले नजारे हमारे नयनों के समक्ष किसी चलचित्र की भांति दिखाई देने लगते हैं। सुश्री पूनम शर्मा द्वारा रचित हिन्दी के मायने लोगों में राजभाषा के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठा को बढ़ावा देते हैं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, त्रिपुरा,
अगरतला

❖ पत्रिका में समाहित रचनाएँ, ''डल एक अहसास, युवा की अपेक्षा, कोरोना काल की कहानी-स्वास्थ्य कर्मी की जुबानी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-आवश्यकता तथा परिवर्तन अभिलाषा-एक वृद्ध की'' बहुत रोचक हैं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ हिंदी,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

❖ पत्रिका की गुणवत्ता एवं रचनात्मक में उत्तरोत्तर प्रगति जारी रहेगी। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य तथा आगामी अंकों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ हिंदी कक्ष
कार्यालय प्रधान महालेखाकार, लेखापरीक्षा-II,
पश्चिम बंगाल

❖ विभिन्न प्रकार की रचनाओं से सजी आपकी पत्रिका हिन्दी कार्यान्वयन की दिशा में एक स्वर्णिम प्रयास है। सभी रचनाएँ पठनीय एवं प्रशंसनीय हैं। पत्रिका के प्रकाशन के सफल प्रयास हेतु शुभकामनाएँ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बैंगलोर- 560 001

❖ पत्रिका की संरचना आकर्षक सुंदर एवं सटीक है। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं पठनीय, ज्ञानवर्धक एव प्रशंसनीय हैं। विशेषकर श्रीमती इला सिंह कृत "डल एक अहसास" प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत वर्णन है, श्री जय प्रकाश द्वारा लिखित "महान संत कबीर" ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है, डॉ. अजीत कुमार कृत ''युवा की अपेक्षा'' प्रेरक है। सुश्री पूनम शर्मा कृत ''ट्रांसफर- एक अनुभव'' अत्यंत प्रेरक एवं हृदयस्पर्शी है। श्री विक्रम बादल कृत ''एक बसंत को आना ही होगा'' एवं श्री शशांक कुमार चौधरी कृत ''स्कूली जिंदगी में रिजेक्शन असल जिंदगी में सिलेक्शन'' पठनीय एवं प्रेरक हैं। कश्मीर की सुदरंता की तरह पत्रिका विविधतापूर्ण सुंदर लेखों से सुसज्जित है।

वरिष्ठ लेखापरिक्षा अधिकारी/ प्रशासन,
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) चेन्नै का कार्यालय

❖ पत्रिका का कलेवर व रूपरेखा अत्यधिक आकर्षक है। इस पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएँ उत्कृष्ट, ज्ञानवर्धक और रोचक हैं।

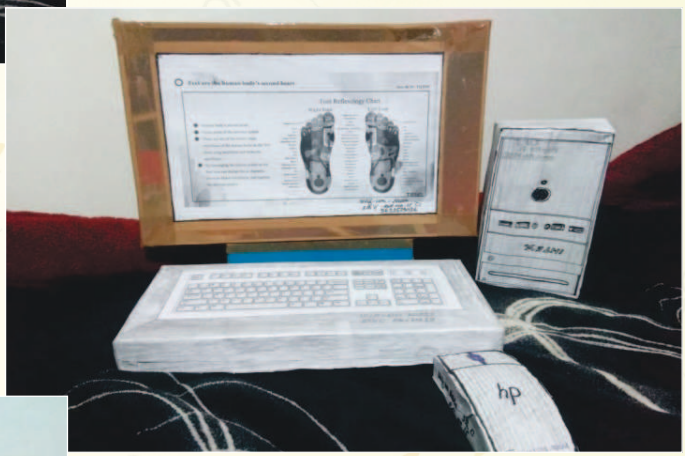
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी-राजभाषा,
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा कार्यालय पूर्व तट रेलवे, तीसरी मंजिल,
उत्तर खण्ड, भुवनेश्वर- 751 017 (ओडिशा)


अ आ
इ ई
हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है।
तो आइये हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं।
हिंदी दिवस
की शुभकामनाएं।

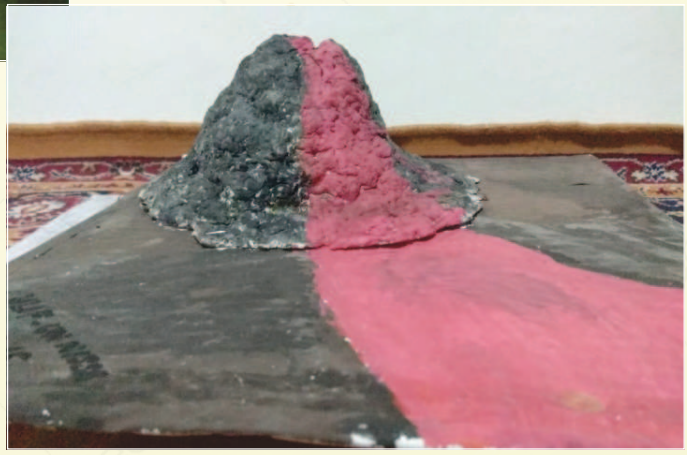

लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
IDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
2021-22
Azadi Ka Amrit Mahotsav

चित्रकारी











2 जुलाई, 2022 को युसमर्ग में आयोजित मनोरंजन क्लब द्वारा यात्रा कार्यक्रम









हिन्दी दिवस समारोह, 2021















लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

JANDIYAL
PRINTING PRESS
0191-2553140